अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2003

का.आ. 689(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 862 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट,मफतलाल हाऊस, बैकबे रिक्लेमशन, मुम्बई द्वारा जानकीकुंड, चित्रकूट, जिला सतना तथा आनन्दपुर, जिला विदीशा, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य देख-रेख, शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि से संबंधित बहुआयामी गामीण कल्याण योजनाओं को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 10 पर विनिर्दिष्ट किया था; तथा जिसे बाद में दिनांक 21 सितम्बर, 2000की अधिसूचना सं0 875 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट,मफतलाल हाऊस, बैकबे रिक्लेमशन, मुम्बई द्वारा जानकीकुंड, चित्रकूट, जिला सतना तथा आनन्दपुर, जिला विदीशा, मध्य प्रदेश में चलाई जा रही स्वास्थ्य देख-रेख, शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि से संबंधित बहुआयामी गामीण कल्याण योजनाओं को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र सात सौ लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 152/2003/फा. सं. एन.सी.-81/2003]

जी.सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)